



गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)  
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009, क्रमांक 25 के अंतर्गत स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय )  
**GURU GHASIDAS VISHWAVIDYALAYA, BILASPUR (C.G.)**  
(A Central University established by the Central University Act, 2009 No. 25 of 2009  
Web Site-www ggu. Ac. In,ph. No. 260021, Fax No. 07752-260148,154

क्रमांक 174 / अका0 / 2015

बिलासपुर, दिनांक 31/3/15

प्रति,

विभागाध्यक्ष,  
शिक्षा विभाग,  
गुरु घासीदास विश्वविद्यालय,  
बिलासपुर (छ0ग0)

विषय:- विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 23.02.2015 के विषय क्रं0-03 में लिये गये निर्णय अनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के संबंध में ।


महोदय,

विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 23.02.2015 के विषय क्रं0-03 के अंतर्गत समिति ने विचारोपरांत निर्णय निम्नानुसार लिया है :-

“विभागीय संस्तुती एवं एन.सी.टी.ई. के विनियम 2014 के मापदण्ड अनुसार शैक्षणिक सत्र 2015-16 से बी.एड एवं एम.एड. पाठ्यक्रम की अवधि एक वर्ष के स्थान पर दो वर्ष तथा प्रवेशित छात्रों की संख्या 100-100 के स्थान पर 50-50 निर्धारित की जाय ।”


कृपया उपरोक्त निर्णयानुसार आगामी कार्यवाही सुनिश्चित करना चाहें ।

आदेशानुसार,

  
कुलसचिव(कार्यवाहक)

प्रतिलिपि :-

1. कुलपति जी के सचिव को माननीय कुलपति जी के सूचनार्थ प्रेषित ।
2. अधिष्ठाता, अध्ययनशाला समाज विज्ञान की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
3. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
4. समस्त विभागाध्यक्ष, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
5. परीक्षा नियंत्रक, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
6. विभागाध्यक्ष, संगणक विभाग को इस आशय के साथ प्रेषित है कि विश्वविद्यालय की वेबसाईट में अपलोड करने हेतु ।
7. उप-कुलसचिव परीक्षा एवं सहा.कुलसचिव गोप./प्रशासन विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

  
उप-कुलसचिव (अका.)

CSIT/292  
31/3/15